

अनुमति की शर्तें ।

- (a) नगर भवन/मुख्यालय के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (b) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) जो नगर के नियमों में निर्माण का कोई बाधाकारक नहीं होगा तथा नगर नियमों की पूर्ति के लिए आवश्यक होगा ।
- (c) नगर निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवश्यक नियमों को सुचित करेगा ।
- (d) स्वीकृत नगरों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वातंत्र्य सिद्धि केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

अवेदन, क्रमांक 468 दिनांक 21/01/2020
श्री एकर राम अठ जी किशोराम
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.N. = 15/23 राजकीय आवासीय कोकोमी
द्वारा 194 (c) (घ) के तहत आवासीय माल रोड
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7793/- जमा
करिये रसीद संख्या 2062/463, 464
दिनांक 21/01/2020 को जमा करा दी है ।

21/01/2020

सहायक नगर निरीक्षक
नगर निगम, जोधपुर